

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/P/20/00044
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/20/00193
अपीलकर्ता : श्री आर. एल. लडवाल
बी-4/298, नन्द नगरी
दिल्ली - 110093.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.03.2020
आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आवेदन प्राप्त होने की तिथि	19.03.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.05.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. पी. गोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.06.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	09.06.2020
निर्णय की तारीख	15.06.2020

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.03.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:-

1. डायरी नं. 110436 दिनांक 03.03.2020 की डाक पर किस प्रकार की कार्यवाही है उसके सभी Document 1 to 7 व Application with list document के साथ उसकी Action Taken Report दी जावे । व BSES पर S/C - S/T Act में FIR DPQH में FIR की कापी दिलायी जावे । Order (S/C) कास्ट (NCSC) order पास की जावे । Report दी जावे (BSES) without license दिल्ली की जनता की मणि अवपने खाते में लूट रही है - Action Taken Report दी जावे । कहते हैं (BSES) को CIC चला रही है । बताए बात सही है Action Taken Report दी जावे ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री आर. पी. गोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.2020 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई:-

1. No action has been taken on letter received vide dairy no 110436 dated 03.03.20.
2. Any request is not covered under RTI Act.
3. No action taken
4. No action taken

Due to nationwide lockdown, offices were closed and there after partially opened hence the information is provided with delay.

प्रथम अपील का आधार

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि "letter CICOM/R/P/20/00193 dt 109.05.2020, Ans not satisfied to me" तथा अनुरोध किया है कि "Question 1 to 4 की रिपोर्ट दी जावे" ।

o/c

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 15.03.2020 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के अनुसार श्री आर. पी. शोवर, केन्द्रीय सूचना अधिकारी, द्वारा दिनांक 19.05.2020 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट सूचना दे दी गई है। अतः इस मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

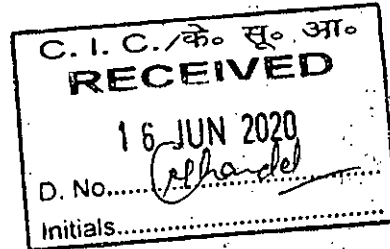
निर्णय की तारीख: 15 जून, 2020

मीना शर्मा
15/06/2020
(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री राम कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (RTI Cell), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री आर. पी. शोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DO to IC (YS), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

Belal
16/06/20



13
16/6/20